Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

ओमप्रकाश बनाम भूरा वगै0

अपील संख्या अन्तर्गत धारा 223 आर टी एक्ट अपील संख्या 66/24 GCMS NO 2024/111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.4.26	उभयपक्ष अधिवक्ता उप0 अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र घोषणा खातेदारी प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 14 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा ग्राम खिरकन सब तहसील मण्डरायल ।हसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित कराने की इस्तदुआ चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र साक्ष्य वादी मे दिनांक 16.01.04 को नियत था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियत दिनांक को साक्ष्य वादी मे कोई उपस्थित नही होने एवं पूर्व मे कई मौके दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य वादी मे कोई उपस्थित नही होने से साक्ष्य वादी बंद की जाकर दावा वादी अदम सबूत मे खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है। अपीलांट अधिवक्ता व दौरान ।हस कथन रहा कि वादी दिनांक 7.3.03 को अधिनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य के लिए उपस्थित रहा है परन्तु समय अभाव के कारण उस दिन वादी की साक्ष्य नही हो सकी। इसके पश्चात अप्रेल 2003 मे वादी के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने एवं वादी पर दीगर लोगो का कर्ज हो जाने से वादी खाने कमाने मुम्बई चला गया और वर्ष 2023 तक वादी मुम्बई मे ही मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। सन 2023 मे जब अपीलांट वादी की आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ व दीगर लोगो का कर्जा अदा किया तब गांव आया और भूमि की जमाबंदी ने पर भूमि वादी के नाम मुताबिक बयनामा खातेदारी मे दर्ज नही होने की जानकारी हुई तब वादी अपीलांट ने अपनी खरीद भूमि के 1/3 हिस्से की भूमि का बंटवारा व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद उपखण्ड अधिकारी न्यायालय मण्डरायल मे प्रस्तुत कराया तब वकील अपीलांट/वादी द्वारा मुकदमा न0 45/2002 अदम हाजरी अदम पैरवी व अदम सबूत मे दिनांक 16.1.04 को खारिज होने की कहने पर जैर अपील निर्णय की जानकारी हुई। जैर अपील निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्व है जो निरस्त किये जाने योग्य है और पत्रावली सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। जैर अपील निर्णय की जानकारी अपीलांट के कमाने खाने मुम्बई चले जाने के कारण समय पर नही हो सकी। मुम्बई से वापस गांव आने व वकील से सम्पर्क करने पर जैर अपील निर्णय की जानकारी हुई। इसलिए बिलम्ब की अवधि माफ किये जाने योग्य है , धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.1.04 को अपास्त किया जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे। रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपीलांट के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि वादी दिनांक 7.3.03 को अधिनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य के लिए उपस्थित हुए है जबकि वादी उक्त दिनांक को भी अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है एवं नां ही कोई समय अभाव रहा है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वादी पर दीगर लोगो का कर्जा हो जाने के कारण कमाने खाने मुम्बई चला गया। जबकि सत्यता यह है कि वादी/अपीलांट कही कमाने खाने नही गया है वह शुरू से ही गांव खिरकन मे ही रहा है। वादी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बार बार साक्ष्य के लिए अवसर प्रदान किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी मे अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वादी द्वारा साक्ष्य नही कराई गई। इससे स्पष्ट है कि वादी प्रकरण के प्रति गंभीर नही रहा है। वादी/अपीलांट कोई गरीब व्यक्ति नही है। वादी/अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य मनगढन्त तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलांट/वादी का शुरू से ही रही है फिर भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 20 वर्ष पश्चात पेश की गई है जो मियाद बाहर है एवं खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से न्यायिक प्रकिया के तहत ही वादी का वाद पत्र अदम सबूत मे खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अपील पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी द्वारा वाद पत्र घोषणा खातेदारी के बाबत पेश किया गया था। जहॉ तक साक्ष्य वादी का प्रश्न है तो यदि वादी साक्ष्य पेश नही करता है तो न्यायालय को चाहिए की वह साक्ष्य वादी बंद करने के आदेश पारित कर सकता है , साक्ष्य वादी के अभाव मे सम्पूर्ण वाद पत्र को खारिज किया जाना न्यायिक प्रकिया के विपरीत है। इस विधिक तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। जहॉ तक मियाद के बिन्दु का प्रश्न है तो मियाद के बिन्दु के आधार पर किसी प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। फिर भी न्यायहित मे बिलम्ब की अवधि को 2000/–रूपये की कोस्ट पर क्षम्य किया जाना न्यायोचित है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि प्रकरण मे अपीलांट /वादी द्वारा निर्धारित कोस्ट अदायगी किये जाने पर मूल वाद संख्या 45/2002 को पुनःनम्बर पर लिया जाकर वादी को साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का विधि अनुसार अंतिम निस्तारण किया जावे।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल के प्रकरण संख्या 45/2002 मे पारित निर्णय दिनांक 16.01.2004 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/वादी पर धारित निर्धारित कोस्ट राशि 2000/–रूपये वादी द्वारा अदायगी किये जाने के उपरान्त मूल वाद को पुनःनम्बर पर लिया जाकर वादी/अपीलांट को साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल के समक्ष दिनांक 02.06.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर